न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–252/2023 (GCMS No. 2023/260) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. राजेन्द्रप्रसाद
2. छिद्दालाल
3. महेशचन्द

पुत्रान चिरंजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सोगर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मुर्ति गोपाल जी महाराज स्थापित गॉव सोगर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर द्वारा वादमित्र :–

1. शिवराम पुत्र बुद्दी
2. अमरसिंह पुत्र खचेरा
3. रोहन पुत्र सीताराम
4. श्यामवीर पुत्र दरवसिंह

जाति जाट निवासी सोगर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 24.02.2021 अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर अपील संख्या 60/2019 उनवानी राजेन्द्रप्रसाद आदि बनाम मूर्ति गोपालजी।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्टस की ओर से श्री महाराजसिंह डागुर वकील
2. रेस्पो. की ओर से श्री दिनेश शर्मा, वकील

नि र्ण य **दिनांक : 10.07.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 24.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार रारह तहसील कुम्हेर द्वारा खोले गये नामांतरकरण संख्या 1698 ग्राम सोगर तहसील कुम्हेर के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर यह अपील अपील प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

दिनांक 24. 2. 2021

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या की ओर से श्री दिनेश शर्मा वकील उपस्थिति।
3. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि आराजी खसरा नम्बर 1834 रकवा 0.07 स्थित ग्राम सोगर तहसील कुम्हेर अपीलार्थीयान की कब्जे काश्त एवं खातेदारी का है जिसमें रेस्पो. का कोई संबंध नहीं है। प्रथम अधीनस्थ न्यायालय के बिना कब्जे काश्त की जॉच किये ही सहायक कलक्टर कुम्हेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2018 के आधार पर स्वीकृत किया है। निर्णय व डिक्री अपीलार्थी को बिना सुने एकतरफा में पारित की गई है। निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर को की गई जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। स्थगन आदेश के बाद भी प्रथम अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरकरण आदेश पारित कर दिया। डिक्री व निर्णय दिनांक 23.03.2018 जिस वाद में पारित किया है उसमें पूर्व एक वाद इसी आराजी के संबंध में इन्हीं पक्षकरों के बीच न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के समक्ष विचाराधीन रहा है तथा उसमें स्थगन आदेश भी जारी हुआ है। इस प्रकार पूर्व के दावे के चलते दूसरा दावा न्यायालय सहायक कलक्टर में चलने योग्य नहीं था। धारा 10 सी.पी.सी. के तहत स्टे किये जाने योग्य था। उत्तरवादी ने छुपाकर अपना दावा एकतरफा में डिक्री कराया है। शून्य निर्णय व डिक्री की पालना में स्वीकृत नामांतरकरण भी शून्य है। राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2018 के विरूद्व अपीलार्थी ने निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की थी जिसमें मामले को एक माह में तय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मामला राजस्व मण्डल में विचाराधीन रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना है कि अब पत्रावली में शिवराम बनाम राजेन्द्र एवं अन्य व राजेन्द्र बनाम शिवराम से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं हैं जिसमें वाद किन नम्बरों पर था क्या अनुतोष चाहा गया है। स्थगन आदेश क्या था यह स्पष्ट हो सके। कतई गलत है। पूर्व के दावे की जारी आवश्यक प्रतिलिपियॉ तथा स्थगन आदेश की प्रतिलिपि न्यायालय तहत में पेश की गईं हैं जिन्हें नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। निर्णय व डिक्री के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है। वह अभी मामला राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष सबज्यूडिस है। इस निर्णय व डिक्री के संबंध में आज तक कोई अन्तिमता नहीं है। सहायक कलक्टर के समक्ष दूसरा दावा शिवराम बनाम मूर्ति गोपाल जी तथ्यों को छिपाकर पेश किया है तथा एकतरफा कार्यवाही की गई है। इस प्रकार न्यायालय को धोखे में रखकर डिक्री हासिल की है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अतिरिक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जिला कलक्टर भरतपुर का निर्णय दिनांक 24.02.2021 निरस्त किया जावे तथा नामांतरकरण संख्या 1698 ग्राम सोगर तहसील कुम्हेर निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा दौराने बहस कथन किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2018 की पालना में नामांतरकरण दर्ज किया गया है। अपीलांटस को न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर से जारी सम्मनों की विधिवत तामील हुई है। जबाब पेश नहीं यिका गया। दावे में सारे तथ्य बताये गये हैं। रेस्पो. द्वारा कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया है। नामांतरकरण दर्ज करते समय सुनने की आवश्यकता नहीं है। नामांतरकरण के बाद अपील पेश की गई है। इजराय के तहत दाखिला खारिज हुआ है। नामांतरकरकण सही भरा गया है। अपील चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे तथा नामांतरकरण संख्या 1698 यथावत रखा जावे। रेस्पो. वकील द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1994 पेज 486 उद्वृत किया।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.02.2021 में अंकित किया गया है कि " उक्त नामांतरकरण सहायक कलक्टर कुम्हेर के आदेश दिनांक 09.04.2018 को दर्ज किया जाकर दिनांक 27.04.2018 को स्वीकार किया गया है। वकील अपीलांट की आपत्ति अन्य वाद में स्थगन आदेश रहने की है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल दावा राजेन्द्र बनाम शिवराम में आदेशिका दिनांक 22.10.2018 से स्थगन आगे बढाया जाना स्पष्ट होता है परन्तु दावे में क्या तथ्य थे किन नम्बरों से संबंधित था एवं स्थगन आदेश क्या था, इसको स्पष्ट करने के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं हैं। वकील अपीलांट की आपत्ति यह भी है कि सहायक कलक्टर कुम्हेर का आदेश अपीलांट को बिना सुने किया जाने के कारण इस प्रकार डिक्री शून्य है एवं शून्य डिक्री की पालना में दर्ज किया गया नामांतरकरण विधि विरूद्व एवं आरम्भ से ही शून्य है। वकील रेस्पो. का कहना है कि आदेश 9 नियम 13 पेश करनी चाहिए थी। पत्रावली में सहायक कलक्टर कुम्हेर के निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं है, ना ही डिक्री किये गये दावें से संबंधित दस्तावेजात है जिससे वाद का एक पक्षीय डिक्री होना स्पष्ट होता हो। तथापि यह मान भी लिया जाये कि वाद एकपक्षीय डिक्री किया गया है जो अपीलांट को एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने की कार्यवाही करनी चाहिए। चूंकि अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्व राजस्व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपील प्राधिकारी भरतपुर को अपील पेश की रखी है परन्तु उक्त अपील अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1698 फैसल होने के बाद प्रस्तुत की गई है। अतः वकील अपीलांट की स्थगन होने के नामांतरकरण फैसल करने की आपत्ति खारिज योग्य है। वकील अपीलांट की यह प्रमुख आपत्ति है कि रेस्पो. द्वारा न्यायालय से स्थगन होने का तथ्य छुपाते हुये दावा डिक्री करा लिया। इस पत्रावली में वाद शिराम बनाम राजेन्द्र एवं अन्य वाद राजेन्द्र बनाम शिवराम से संबंधित कोई ऐसे दस्तावेज मौजूद नहीं हैं जिससे वाद किन नम्बरों पर था, क्या अनुतोष चाहा गया है। स्थगन आदेश क्या था यह स्पष्ट हो सके। अतः बिना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये तथ्यों को छिपाकर दावा डिक्री कराना स्पष्ट नहीं होता है। चुंकि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1698 सहायक कलक्टर कुम्हेर के आदेश दिनांक 23.03.2018 की पालना में दर्ज किया गया है एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को अपास्त भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त नामांतरकरण को दर्ज करने में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का एवं नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण संख्या 1698 मुताबिक डिक्री सहायक कलक्टर कुम्हेर के निर्णय दिनांक 23.03.2018 की पालना में भरा जाकर स्वीकृत किया गया है। स्थगन रहते नामांतरकरण की कार्यवाही के संबंध में इस न्यायालय की पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सहायक कलक्टर कुम्हेर के निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं है। न्यायालय की डिक्री की पालना में स्वीकृत नामांतरकरण को अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री निरस्त करने पर ही डिक्री अनुसार निरस्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज किये योग्य है।
8. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का निर्णय दिनांक 24.02.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावें।
9. निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/7/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर